न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 10 / 2020 दायर दिनांकः 09 / 09 / 2020

उनवान

1. आकाश यादव आयु 25 वर्ष पुत्र राजेन्द्र यादव जाति अहीर
2. प्रकाश यादव आयु 22 वर्ष पुत्र राजेन्द्र यादव जाति अहीर
3. अंगुरी बाई आयु 45 वर्ष पत्नि स्व0 राजेन्द्र यादव जाति अहीर निवासीगण मायथा हाल निवासी मकान नं0 954 सेक्टर 7 केशवपुरा, कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज०)।

प्रार्थीगण

बनाम

1. सत्यनारायण आयु 55 वर्ष पुत्र भैरूलाल जाति अहीर निवासी मायथा हाल निवासी मकान नं0 954 सेक्टर 7 केशवपुरा, कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज०)।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, तहसील अटरू जिला बारां राज0।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थिति :—
प्रार्थीः—विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन

आदेश

दिनाकः 21 / 04 / 2022

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीगण के स्वर्गीय पिता एवं पति का सही नाम राजेन्द्र यादव ही है और यह सही नाम भी भारतीय विशिष्ट पहचान अधिकरण, परिवार के राशन कार्ड तथा मृत्यु प्रमाण पत्र राजस्थान सरकार आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय नगर निगम कोटा जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 12 / 17 तथा राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2000 के नियम 8 के अन्तर्गत जारी मृत्यु प्रमाण पत्र में भी प्रार्थीगण के पिता व पति का सही नाम राजेन्द्र यादव पुत्र भैरूलाल जाति अहीर निवासी 954 सेक्टर 7 केशवपुरा कोटा दर्ज है। जबकि प्रार्थीगण

के स्वर्गीय पिता का नाम वाके ग्राम एवं माल मायथा पटवार हल्का भैंसडा की जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड में राजेन्द्र यादव के स्थान पर मोहनलाल पुत्र भैरूलाल दर्ज है जो गलत है। प्रार्थीगण के पिता एवं पति का सही नाम राजेन्द्र यादव ही है। प्रार्थीगण के पिता राजेन्द्र यादव का स्वर्गवास हो गया है लेकिन सभी सरकारी दस्तावेजों में राजेन्द्र यादव अंकित है लेकिन ग्राम एवं माल मायथा तहसील अटरू की जमाबन्दी में मोहनलाल दर्ज है। जहां तक राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त होकर मोहनलाल के स्थान पर सही नाम राजेन्द्र यादव दर्ज नहीं हो जाता है वहां तक प्रार्थीगण के नाम राजेन्द्र यादव के हिस्से की आराजीयात खाते दर्ज नहीं हो सकती है। इस वजह से न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड में वाके ग्राम एवं माल मायथा की आराजी खाता संख्या 228 की जमाबन्दी में मोहनलाल पुत्र भैरूलाल जाति अहीर के स्थान पर राजेन्द्र यादव पुत्र भैरूलाल जाति अहीर दर्ज किया जावे अर्थात माल मायथा की नवीन जमाबन्दी खाता संख्या 228 में दर्ज मोहनलाल को हटाकर प्रार्थीगण के पिता एवं पति का सही ना राजेन्द्र यादव दर्ज किया जावे। प्रार्थीगण ने राजस्व रिकार्ड में अपने पिता का सही नाम दर्ज करवाने बाबत तथा उनके स्थान पर फोती नामान्तरण तस्दीक करवाने बाबत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 13.07.2020 को अप्रार्थी कृम 2 तहसीलदार साहब अटरू के समक्ष प्रस्तुत किया था जिस पर तहसीलदार साहब अटरू द्वारा राजस्व रिकार्ड में पिता का नाम मोहनलाल के स्थान पर सही नाम राजेन्द्र यादव दुरूस्त करवाने के लिए निर्देशित करते हुये प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वापस लौटा दिया और माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने की हिदायत दी है। इस वजह से प्रार्थीगण माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती प्रस्तुत करते है। प्रार्थीगण द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस अन्तर्गत धारा 80 जा0दी0 मियादी दो माह राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलेक्टर महोदय बारां को प्रेषित करवा दिया है। प्रार्थीगण के पिता एवं पति का नाम राजेन्द्र यादव सही दर्ज नहीं होने तथा पिता का गलत नाम मोहनलाल दर्ज होने का पडौसी नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थीगण के स्वामित्व की आराजी पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है। यदि नोटिस अवधि समाप्त होने का इन्तजार किया गया और इस दौरान प्रार्थीगण के स्वामित्व की आराजी पर जबरन कब्जा कर लिया गा तो बाद में प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पेश करने का महत्व ही समाप्त हो जावेगा। इस वजह से प्रार्थना पत्र आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस की अवधि दो माह समाप्त होने से पूर्व ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 80 (2) जा0दी0 के प्रार्थना पत्र के साथ इन्द्राज दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हे। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत

धारा 80 (2) जा0दी0 स्वीकार फरमाकर प्रार्थना पत्र इन्द्राज दर्ज रजिस्टर किया जाकर सुनवाई की जावे। राजस्व रिकार्ड मे अप्रार्थी क्रम 1 सहखातेदार दर्ज होने की वजह से उसे उक्त प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी क्रम 1 आवश्यक पक्षकार दर्ज किया गया हैं उसके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। राजस्थान सरकार भूमिधारी है। प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती का होने की वजह से उक्त प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी क्रम 2 आवश्यक पक्षकार दर्ज यिा गया है। विवादित आराजी वाके ग्राम मायथा तहसील अटरू जिला बारां मे अवस्थित है जिसका क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थना पत्र राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है। प्रार्थना पत्र अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हे जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन करते है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर इन्द्राज दुरूस्त करते हुये वाके ग्राम माल मायथा की आराजी खाता संख्या 228 का कुल किता 6 का कुल रकबा 0.65 है0 के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज मोहनलाल के स्थान पर प्रार्थीगण के पिता एवं पति का सही नाम राजेन्द्र यादव दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

1. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई, अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा इकबाली जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 का विवरण स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 2 का विवरण स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 3 का विवरण स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 4 का विवरण स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 5 का विवरण स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 6 कानूनी है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 7 कानूनी है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 8 कानूनी है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 9 स्वीकार है। प्रार्थीगण द्वारा चाही गई प्रार्थना स्वीकार है।

विशेष कथन

प्रार्थीगण का पिता एवं पति राजेन्द्र यादव मुझ अप्रार्थी क्रम 1 का सगा भाई है। हमारे पिताजी भैरूलाल जी का स्वर्गवास होने के बाद नामान्तकरण तस्दीक करते समय वाके ग्राम एवं माल मायथा की आराजी खाता संख्या 228 का कुल किता 6 का कुल रकबा 0.65 है0 में राजस्व रिकार्ड में मोहनलाल गलत दर्ज कर दिया। मुझ अप्रार्थी क्रम 1 के मृतक भाई का सही नाम

राजेन्द्र यादव पुत्र भैरूलाल ही है। समस्त राजकीय दस्तावेजों में भी प्रार्थीगण के पिता एवं पति का राजेन्द्र यादव ही दर्ज है। इस वजह से राजस्व रिकार्ड में मोहनलाल के स्थान पर प्रार्थीगण के पिता का सही नाम राजेन्द्र यादव दर्ज किया जावे। अतः माननीय न्यायालय में अप्रार्थी क्रम 1 इकबाली जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन करता है कि प्रार्थीगण द्वारा चाही गई प्रार्थना स्वीकार फरमाई जावे।

2. अप्रार्थी क्रम 2 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया। साक्ष्यवादी के तहत **pw 1** आकाश यादव के बयान लेखबद्ध किये गये। प्रार्थी ने अपने शपथ बनयानों में बताया कि हमारा परिवार वर्तमान में कोटा में निवास कर रहा है। मेरे पिताजी का सही नाम राजेन्द्र यादव है इसका इन्द्राज आधार कार्ड, राशन कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र में हो रहा है तथा नगर निगम कोटा के वार्ड पार्षद का प्रमाण पत्र तथा ग्राम पंचायत भैसडा के रिकार्ड अनुसार भी मेरे पिता का नाम राजेन्द्र यादव पुत्र भैरूलाल ही था जिसे राजस्व रिकार्ड में मोहनलाल गलत दर्ज कर दिया।

3. अभिभाषक प्रार्थीगण की एक तरफा बहस सुनी, अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि ग्राम मायथा की आराजी खाता संख्या 228 का कुल किता 6 का कुल रकबा 0.65 है0 के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज मोहनलाल के स्थान पर प्रार्थीगण के पिता एवं पति का सही नाम राजेन्द्र यादव दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

4. उपलब्ध रिकार्ड एवं पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। ग्राम मायथ की प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2074–77 के खाता संख्या 228 ख0नं0 294, 400, 406, 407, 412, 413 किता 6 कुल रकबा 0.65 है0 आराजी मोहनलाल पुत्र भैरूलाल व सत्यनारायण पुत्र भैरूलाल के शामलाती खाते दर्ज है। अन्य दस्तावेज ड्राइविंग लाइसेंस में प्रार्थीगण के पिता व पति का नाम राजेन्द्र कुमार अहिर पुत्र भेरूलाल दर्ज है। राशन कार्ड में राजेन्द्र यादव पुत्र भैरूलाल दर्ज है। मृत्यु प्रमाण पत्र में राजेन्द्र कुमार यादव पुत्र भैरूलाल दर्ज है। प्रार्थी क्रम 3 के आधार कार्ड में अंगुरी बाई पत्नि राजेन्द्र यादव दर्ज है। ग्राम पंचायत मायथा के प्रमाण पत्र अनुसार मोहनलाल व राजेन्द्र दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है जो मायथा छोडकर कोटा चले गये थे। कुलदीप गौतम

वार्ड पार्षद वार्ड नं0 76 नगर निगम कोटा दक्षिण के प्रमाण पत्र अनुसार राजेन्द्र यादव का उपनाम मोहनलाल यादव भी है दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है।

5. रिकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर. एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल मायथा तहसील अटरू जिला बारां की आराजी खाता संख्या 228 का ख0नं0 294 का रकबा 0.32 है0, ख0नं0 400 का रकबा 0.12 है0, ख0नं0 406 का रकबा 0.04 है0, ख0 नं0 407 का रकबा 0.06 है0, ख0नं0 412 का रकबा 0.05 है0, ख0 नं0 413 का रकबा 0.06 है0, कुल किता 6 का रकबा 0.65 है0 में सहखातेदार प्रार्थीगण के पिता/पति का नाम मोहनलाल पुत्र भैरूलाल के स्थान पर राजेन्द्र यादव उर्फ मोहनलाल पुत्र भैरूलाल दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

निर्णय आज दिनांक 21.04.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां